

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2016]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2014/आश्विन 8, 1936

No. 2016]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2014/ASVINA 8, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2014

आय-कर

का.आ. 2556(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 133ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर (10वां संशोधन) नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आय कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“धारा 133ग के अधीन विहित प्राधिकारी

12घ. धारा 133ग के अधीन विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक होगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक” से ऐसा आयकर प्रधान महानिदेशक या आयकर महानिदेशक या आयकर प्रधान निदेशक या आयकर निदेशक अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 133ग के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे।”।

[अधिसूचना सं. 48/2014/फा.सं. 142/8/2014-टीपीएल]

आरजू गाड्रोदिया, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2014 में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2487(अ), तारीख 24.09.2014 द्वारा संशोधित किए गए।